वित्तीय स्वीकृति

संख्या-17/2016/ 689/52-3-2016-बजट(10)/15

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2016

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु पुर्नविनियोग द्वारा व्यय/स्वीकृति के संबंध में। (3□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4436/□0□0□0□0-153/□□□/□□□□/2015-16 दिनांक 25.2.2016 के संदर्भ में तथा शासन के पत्र सं0-949/52- 3-15-□□□(10)/15 दिनांक 6.5.2015 □□□ □□□□□□□ □0-2035/52-3-15- □□□(10)/2015 दिनांक 16.8.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा 3 निकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को शासनादेश सं0-2855/52-3-14-□□(8)/14, दिनांक 06 जनवरी, 2014 में निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार के बजट से प्रति माह अतिरिक्त मानदेय प्रदान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक में प्राविधानित धनाशि रू0 40,28,76,000/- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 2.5.2015 □□□ 16.8.2016 द्वारा कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर पूर्व में ही रखी जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रकरण में आपके द्वारा व्यक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों के अवशेष अवधि के मानदेय के भुगतान □□□□□□□□ □0-48 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 30,12,00,000/-जो □□□□□□ □0-2240/52-3-14-□□□(28)/2015, दिन□□ 24.9.2015 द्वारा स्वीकृत कर पूर्व ही आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है, के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से रू0 10,47,81,000/-(रू0 दस करोड़ सैतालिस लाख इक्यासी हजार म) की धनराशि निम्नंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पुर्नविनियोग कर व्यय किये जाने की सहमति, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा मानदेय के रूप में दिये जाने वाले अतिरिक्त अनुदान का भुगतान केवल उन्हीं मदरसों में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को किया जायेगा जो कि भारत सरकार की ''मदरसा आधुनिकीकरण योजना'' से आच्छादित है तथा पूर्व में भारत सरकार द्वारा मदरसे में कार्यरत आधुनिक विषयों के मानदेय का भुगतान किया गया है।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □□□□

(3) किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(4) मानदेय के रूप में राज्य सरकार द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि संबंधित शिक्षक के व्यक्तिगत बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उ□□□□□□ प्रमाण-पत्र शासन क 31.03.2016 तक उपलब्ध कराया जायेग उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(6) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/वेकेन्द्र

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □□, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□□

3. उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2225-□□□□□□ □□□, अनुसूचित जन जातियो◌ं तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-80-सामान्य-800- अन्य व्यय -03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-आयोजनेत्तर-0301-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्ति□□ और छात्रवेतन से पुर्नविनियोग कर लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-□ □□□□□□-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-ई0-11-453/□□-15, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-प्रपत्र ब 0□□0-9

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

□□□□

संख्या- 689(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (□□□ □□□□कदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- मुख्य कोषाधिकारी, वे□□□□□□, □□□□□

4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

5- रजिस्ट्रा , □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□□

6- कम्प्यूटर आपरे□□, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

7- गार्ड फाइल।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।